

**NALSA (Child Friendly Legal Services to
Children and their Protection) Scheme, 2015**

NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015

1. Introduction and Background

“It cannot be questioned that children are amongst the most vulnerable sections in any society. They represent almost one-third of the world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation.....” The said observation made in **Salil Bali Vs.: Union of India (UOI) and Anr, 2013VII AD (S.C.)** by Supreme Court goes on to show that it is our obligation to the young generation to open up all opportunities including the legal services for every child to unfold its personality and rise to its full stature, physical, mental, moral and spiritual.

2. International Commitments

- 2.1 While adopting the declaration of the Rights of the Child on 20th November, 1959, the General assembly of the United Nations laid down ten principles designed to enable children, irrespective of race, colour, sex, language, religion or origin, to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity.
- 2.2 The United Nations standard minimum rules for the administration of Juvenile Justice(“ The Beijing Rules,” 1985) call on States to ensure that throughout the proceedings the Juvenile shall have the right to be represented by a Legal Advisor or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.
- 2.3 The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) is a comprehensive, internationally binding agreement on the rights of children, adopted by the UN General Assembly in 1989. The purpose of the UNCRC is to outline the basic human rights that should be afforded to children. There are four broad classifications of these rights. These four categories cover all civil,

political, social, economic and cultural rights of every child which are as follows:-

- (a) Survival rights: include the child's right to life and the needs that are most basic to existence, such as nutrition, shelter, an adequate living standard, and access to medical services
- (b) Development rights: include the right to education, play, leisure, cultural activities, access to information, and freedom of thought, conscience and religion.
- (c) Protection rights: ensure children are safeguarded against all forms of abuse, neglect and exploitation, including special care for refugee children; safeguards for children in the criminal justice system; protection for children in employment; protection and rehabilitation for children who have suffered exploitation or abuse of any kind.
- (d) Participation rights: encompass children's freedom to express opinions, to have a say in matters affecting their own lives, to join associations and to assemble peacefully. As their abilities develop, children are to have increasing opportunities to participate in the activities of their society, in preparation for responsible adulthood.

3. Constitutional Assurances

- 3.1** The framers of our Constitution were well aware of the fact that the development of the nation can be achieved by the development of the children of the nation & it is necessary to protect the children from exploitation as well. The Indian constitution accords rights to children as citizens of the country, and in keeping with their special status the State has even enacted special laws. The Constitution, promulgated in 1950, encompasses most rights included in the UN Convention on the Rights of the Child as Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy.
- 3.2** It is the constitutional right of every citizen under Article 22 of Constitution of India to be defended by a legal practitioner of his choice. One of the fundamental principles to be followed in the

administration of Juvenile Justice is ensuring Legal services at the State expenses. It is a mandatory duty of Legal Services Authority that free legal aid service be made available to every Juvenile.

The following are the provisions of the Indian Constitution relating to children:

- (a) Article 14 provides that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
- (b) Article 15(3) provides that nothing in this Article shall prevent the State from making any special provision for women and children.
- (c) Article 21 provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.
- (d) Article 21A provides that the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.
- (e) Article 23(1) provides that traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
- (f) Article 24 provides that no child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.
- (g) Article 29(2) provides that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.
- (h) Article 39(e) provides that the state shall, in particular, direct its policy towards securing that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.

- (I) Article 39(f) provides that the state shall, in particular, direct its policy towards securing that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.
- (j) Article 45 provides that the State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
- (k) Article 47 provides that the State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties.
- (l) Article 51A(k) provides that it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

4. Other Legislations

Apart from the Constitution there are a number of legislations which deals with children. The following are some of them:

- (a) The Guardian and Wards Act 1890

This Act deals with the qualifications, appointment & removal of guardians of children by the courts & is applicable to all children irrespective of their religion.

- (b) The Child Labour (Prohibition And Regulation) Act 1986

This Act came into force to prohibit the engagement of children in certain employments and to improve the conditions of work of children in certain other employments. Under the act "Child" means a person who has not completed his fourteenth year of age. The Act is intended to ban the employment of children i.e., those who have not completed their 14 years in specified occupations and processes.

(c) The Pre-Natal Diagnostic Technique (Regulation and Prevention of Misuse) Act 1994

This Act provides for the regulation of the use of pre-natal diagnostic techniques for the purpose of detecting genetic or metabolic or chromosomal abnormalities or certain congenital malformation or sex-linked disorders & for the prevention of the misuse of such techniques for the purpose of pre-natal sex determination leading to female foeticide.

(d) JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000

This Act deals with the law relating to juveniles in conflict with law & children in need of care & protection, by providing for proper care, protection & treatment by catering to their development needs & by adopting a child-friendly approach in the adjudication & disposition of matters in the best interest of children & for their ultimate rehabilitation through various institutions established under the Act.

(e) THE COMMISSIONS FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS ACT, 2005

This Act provides for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children's Courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights and for matters connected therewith or incidental thereto.

(f) THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006

This Act restrains the solemnization of child marriages by laying down the minimum age for both boys & girls. According to Section 2(a) of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, a "child" means a person who, if a male, has not completed twenty-one years of age, and if female, has not completed eighteen years of age.

(g) THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009

Article 21A of the Constitution, provides that the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine. Parliament has made the law contemplated by Article 21A by enacting the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 . This Act provides for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.

(h) THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

An Act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

5. Entitlement to Legal Services

- 5.1 Children are the beneficiaries of legal services under the Legal Services Authorities Act, 1987. The Act was enacted to constitute legal services authorities for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
- 5.2 Under section 12(c) of Legal Services Authorities Act, 1987 a child who has to file or defend a case is entitled to legal services. Therefore, it is the duty of various State Legal Service Institutions to provide free legal aid to juvenile in conflict with law and work towards speedy disposal of cases.
- 5.3 In this background, the Scheme has been drawn up for the legal services institutions (State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, High

Court Legal Services Committees, Supreme Court Legal Services Committee) to be followed while they deal with legal services to the children.

6. Name of the Scheme

This Scheme shall be called "**NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015**".

7. Definitions

In this scheme unless the context otherwise requires,

- a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987).
- b) "JJ Act" means The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).
- c) "JJ rules " means Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007.
- d) "Legal Service" has the same meaning as defined under section 2(c) of Legal Services Authorities Act 1987.
- e) Legal Services Clinic means a clinic as defined under regulation 2 (c) of National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations 2011.
- f) Legal Services Institution means a State Legal Service Authority, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committee, District Legal Service Authority or Taluk Legal Service committee, as the case may be.
- g) Panel Lawyer means the panel lawyer selected under Regulation 8 of the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations 2010.
- h) Para Legal Volunteers means a Para Legal Volunteer defined and trained under the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) and Module for the Orientation – Induction – Refresher Courses for PLV Training and engaged as such by a legal services institution.

- i) All other words and expressions used but not defined in this Scheme and defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) or the National Legal Services Authorities Rules, 1995 or National Legal Services (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act or Rules or Regulations.

8. Objective

- 8.1 In Delhi, 16-year-old 'X' is accused of stealing a cell phone. In Mumbai, 12-year-old 'Y' is the victim of sexual abuse. In Calcutta, 10-year-old 'Z's parents are fighting over his custody. In Chennai, 13-year old 'S' was rescued from a factory who found to be trafficked. Everyday children such as these come in contact with the justice system, where formal and informal justice providers make decisions that have the potential to influence the future course of their lives. What rights do these children have when they come in contact with the law? Are they entitled to any type of legal assistance? If so, how might those services best be made available and actually reach children in crisis or in need? How can legal services be made "child-friendly" given logistical and financial limitations? And how does the concept of child-friendly justice play out in informal justice systems? The purpose of this Scheme is to suggest a conceptual and practical framework for addressing these questions, with the ultimate goal to provide children with meaningful, effective, affordable, and age-appropriate legal assistance "on the ground."

8.2 The main objectives of the Scheme are:-

- i) To outline the basic rights and benefits that should be afforded to children.
- ii) To ensure legal representation to the children in need of care and protection and children in conflict with law at all levels;
- iii) To strengthen legal services, institutional care, counselling and support services at the national, state, district and Taluka levels;

- iv) To create an environment in the juvenile justice system, in which children are valued, encouraged and affirmed and have their rights respected and are treated as individuals.
- v) To enhance capacities at all levels, of all functionaries including, PLVs, Panel Lawyers, counsellors , service providers, NGOs, local bodies, police, judiciary and other concerned departments of State Governments, to undertake responsibilities for providing child friendly legal services;
- vi) To ensure that mandatory authorities and institutions, like JJBs, CWCs, other welfare committees, observation and shelter homes, psychiatric hospital or psychiatric nursing home, commissions, boards, office of probation officers etc. under various child friendly legislations have been set up;
- vii) To have database of all the existing central or state schemes, policies, regulations, SOPs, police directives, conventions, rules, declarations, comments, and reports etc. available for child welfare and protection;
- viii) To organise awareness programmes to educate public at large including all stakeholders i.e. PLVs, Panel Lawyers, member of JJBs and CWCs, welfare officers, counsellors, probation officers, police , public prosecutor, judicial officers, care takers of various homes, educational and medical institutions etc., on child rights and their protection on available child protection services, schemes and structures at all levels;
- ix) To undertake and organise training, orientation and sensitization programs, for senior police officers, SJPU, JWOs, panel lawyers, PLVs, member of JJBs and CWCs, welfare officers, counsellors, probation officers, public prosecutor, judicial officers, care takers of various homes for their skill enhancement and for creating a sense of responsibility amongst them;
- x) To organize seminars, colloquia, workshops and conferences relating to law and schemes on child rights and allied fields.

- xi) To develop effective coordination and interface with all Govt. Bodies or functionaries, Institutions, Authorities, NGOs and other Organisations concerning or entrusted with the responsibilities relating to child rights;
- xii) To Undertake research and documentation to study the various schemes, laws etc. to find out the gaps and then to make suggestions to the appropriate authorities;

9. The key principles that should be kept in mind by legal services institutions at all levels are:-

- 9.1 Best interests of the child:- Every child has the right to have his or her best interests given primary consideration while providing legal services to the children in need of care and protection and child in conflict with law.
- 9.2 Welfare of the child:- The welfare of children must always come first, regardless of all other considerations. Early intervention and support should be available to promote the welfare of the child.
- 9.3 Right to dignity:- Every child has the right to be treated with dignity and compassion and its worth is to be respected and protected.
- 9.4 Right to equality and no discrimination:- A child shall be treated without discrimination of any kind, irrespective of the child's cast, race, religion, beliefs, age, family status, culture, language, ethnicity, disabilities if any or place of birth.
- 9.5 Principle of right to be heard- Every child has right to be informed, right to be heard and to express views and concerns freely .
- 9.6 Principle of right to safety- Every child has right to safety at all stages and he or she shall not be subjected to any harm, abuse or neglect etc.
- 9.7 Principle of confidentiality- The privacy of a child shall be protected by legal services institutions at all levels.

10. Plan of Action

10.1 Constitution of boards, committees, commissions, etc.

- (a) Under section 4 of JJ Act the State Government has been authorized to constitute Juvenile Justice Board in every district. SLSAs shall ensure that Juvenile Justice Board is established in each district separate from the regular court and where no such board has been set up, SLASA will take up the matter on urgent basis with State Government so that JJB is established in every district.
- (b) Section 29 JJ Act allows the State Government to form Child Welfare Committees in relation to child in need of care in every district. Such committees will consist of a Chairperson and four other members appointed by the State government including one woman. SLSAs shall ensure that Child Welfare Committees are established in each district and where no such committee has been set up, SLASA will take up the matter on urgent basis with State Government so that committee is established in every district.
- (c) JJ Act contemplates constitution of Special Juvenile Police Unit (SJPU) to deal with Juvenile in conflict with law. In every police station at least one police officer specially instructed and trained is required to be designated as Juvenile/Child Welfare officer to deal with the Juvenile. (section 63, JJ Act and rule 11 of JJ Rules). SLSAs shall ensure that such Special Juvenile Police Unit has been established.
- (d) SLSAs shall ensure that list of designated Juvenile Welfare Officers and members of SJPU's with contact details be prominently displayed in every police station in the state.
- (e) Under section 62A of JJ Act, every state government shall constitute a child protection unit for the state and for every district to take up the matters relating to children in need of care and protection. SLSAs shall ensure that such child protection Unit has been established.
- (f) Under section 17 of Commission for Protection of Child Rights Act

2005, State is under obligation to constitute State Commissions. SLSAs shall ensure that such commission u/s 17 of Commission for Protection of Child Rights Act 2005 has been constituted and working effectively. (**Re. Exploitation of Children in Orphanages in the State of Tamil Nadu Vs. Union of India (UOI) and Ors. (2014)2SCC180**).

- (g) Under section 16 of The Prohibition Of Child Marriage Act, 2006, the State Government is authorised to appoint for the whole State, or such part thereof as may be, an officer or officers to be known as the Child Marriage Prohibition Officer to prevent child marriage and to deal the matters connected thereto. SLA shall take up the matter with state for appointment of the Child Marriage Prohibition Officer, wherever they have not been appointed.

10.2 Observation and Shelter Homes

- (a) Juvenile in conflict with law are kept in a home and not in jail or lockup . There are two categories of homes for juveniles in conflict with law , namely observation homes and special homes. Juvenile is kept in the Observation Home pending inquiry against him by the Board and such home are to be established and maintained by the State Government in every district or group of districts (section 8 of JJ Act r/w rule 16(1) of JJ Rules).
- (b) Similarly, special homes are to be set up in every district or group of district separately for boys and girls to house juveniles, if found guilty on conclusion of inquiry (section 9 of JJ Act r/w rule 16(1) of JJ Rules).
- (c) Under section 34 of JJ Act, State Governments have been empowered to establish and maintain either by themselves or in association with voluntary organizations, children homes in every district or a group of districts for the reception of child in need of care and protection during the pendency of any inquiry and subsequently for their care, treatment, education, training, development and rehabilitation

- (d) SLSAs shall keep the updated record of as to how many institutions i.e. children homes, shelter homes and observation homes, either run by the State Governments or by Voluntary Organisations for Children in need care and protection or children in conflict with law are there in the state.
- (e) All such homes or institutions run by the State Governments or by Voluntary Organisations for Children in need care and protection have to be registered under the provisions of Section 34 of JJ Act, read with Rule 71 of the said Act.
- (f) Any unregistered institutions for children in need of care and protection are there then they have to be shut down or taken over by the State Governments. **(Re. Exploitation of Children in Orphanages in the State of Tamil Nadu Vs. Union of India (UOI) and Ors. (2014)2 SCC 180)**. In this regard SLSAs shall take up the matter with the state Government so that needful could be done in respect of unregistered institutions.
- (g) SLSAs shall ensure that there are observation homes, shelter homes and child care homes in sufficient numbers registered with the government to house the juvenile in conflict with law and child in need of care and protection.
- (h) Each SLASA shall constitute a committee namely “ Observation and Children Home Committee” for every district in the state comprising of District Secretary as chairperson, one panel lawyer and probation officer as members. The committee so constituted shall formulate a calendar of its visit to each of home situated in the district at least once in a month.
- (i) Broadly the functions of the committee would be to see that observation homes , special homes and children homes are child friendly and it should not look like a jail or lockup and should have a good quality of care and facilities. It should have sanitation and hygiene, clothing and bedding , meals and diet, medical and mental health care, tie up with local primary health centre,

maintaining the health record etc. if anything deficient is noted by the committee then SLSA will take up the matter with concerned authorities for necessary action at their end and shall follow up the matter.

10.3 Legal Services Clinics

- (a) SLSAs shall set up Legal Services Clinic at every Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee in each district in the state.
- (b) Opening of Legal Services Clinic shall be communicated to all Government bodies, department including Police, NGOs along with relevant contact numbers and addresses of the clinics.
- (c) PLV's shall be deputed in such clinics.
- (d) SLSAs shall display the contact number and the other information of the clinic in its all offices at state, district and Taluka service level.
- (e) The legal services clinics so established shall be governed by the National Legal Services Authority (Legal aid clinics) regulation 2011 in respect of their functioning, infrastructural facilities, maintenance of record and register, visit of panel lawyers, deputing of PLVs and control over such clinic.
- (f) All DLSAs shall set up legal literacy club in each of the schools in the District under the control of DLSA with co-ordination with the principals.

10.4 Legal Representations.

Statutory provisions

- (a) Under section 12(1)(c) of the Act every child who has to file or defend a case is entitled to free legal services.
- (b) The Board is to ensure free legal aid to all juvenile through State Legal Aid Services Authority or recognized voluntary legal services organisations or the University legal services clinics. [Rule 3.I (d) (iii) r/w 14(2) of JJ Rules].

- (c) The Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall extend free legal services to all the Juveniles. [Rule 14(3) of JJ Rules].
- (d) Under section 40 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2005, the Legal Services Authority shall provide a lawyer to the family or the guardian of the child, if they are unable to afford a legal counsel.

Role of SLSAs

- (a) To meet the requirement of law, SLSAs shall constitute a separate panel of trained and committed advocates to represent child /Juvenile before every forum i.e JJBs, CWCs etc., so that meaningful and effective legal services could be provided at the ground level.
- (b) SLSAs shall ensure that legal services provided to child or Juvenile is of high quality and that it is effective which requires competent and dedicated panel lawyers at JJB and CWC's.
- (c) SLSAs shall supervise and monitor the working of Panel lawyers and have mechanism of surprise check.
- (d) The remuneration to the panel lawyer may be released on the basis of work done report countersigned by the JJB or CWCs wherever the panel lawyer is deputed.
- (e) SLASA shall ensure an effective coordination between legal officer, panel lawyer and Legal Services clinic established at JJBs and CWCs so that every child is legally represented and provided free legal aid and other necessary support.

10.5 Training and orientation programme

- (a) All SLSAs shall strictly adhere to various guidelines already issued by NALSA for training the designated juvenile / child welfare officers attached to every police station and the members of the special juvenile police unit and also for legal services in juvenile justice institutions in connection with the compliance of the order dated 12.10.2011 and 19.08.2011 of Hon'ble supreme court of

India in **Sampurna Behrui v. Union of India & Ors.** in Writ Petition (C) No.473/2005).

- (b) Every State Legal Services Authority shall coordinate with the head of the concerned Police Department to ensure that a Standing Order outlining the roles, responsibilities and functions of Special Juvenile Police Units and Juvenile/ Child Welfare Officers is issued. Such Standing Order shall be based on the JJ Act, JJ Rules / the applicable Rules (If State Government has notified its own Juvenile Justice Rules) and the judgement of the Hon'ble Supreme Court in ***Sheela Barse V. Union of India (1986 SCALE (2) 230): (1987)3SC50***. State Legal Services Authority shall render assistance in drafting and preparing such Standing Order. State Legal Services Authority shall also ensure that such Standing Order is translated into local language and is made available at all the Police Stations.
- (c) In order to be effective, the concepts and potential of legal service to serve children must be communicated effectively. This requires that Legal Service Providers, whether they are lawyers, PLVs, Police Officer or Judicial Officers require effective training in how to communicate with children.
- d) Children legal service providers, judicial officer, panel lawyers, police officers, JJB's, CWCs whether or not formally trained with the law, should receive on-going training in the areas of relevance to the rights of the children.
- (e) To the extent possible, training in substantive legal concepts and applicable laws, regulations and rules as well as skills training in advocacy should be problem based and interactive.
- (f) Law relating to Juveniles is comprised of constitutional provisions, legislations, schemes, reports, international convention, rules. The challenge is how to convey this information in meaningful way to those who are working on the ground on behalf of the children. Therefore, the training material for such functionaries should contain all important information which is necessary for solving the problem of children.

10.6 Legal Awareness

- (a) All SLSAs shall publish booklets/pamphlets/legal service manual containing the details of the available schemes pertaining to the child rights. Copies of booklets/pamphlets/ legal service manual shall be kept available in all front offices, legal services clinics, JJBs, CVCs, police stations etc.
- (b) Information regarding the above details should also be disseminated through Doordarshan, All India Radio and Community Radio.
- (c) All SLSAs shall spread awareness amongst the public about children rights and their protection in collaboration with educational institutions , State Commission for Protection of Child Rights , NGOs etc.
- (d) Essay competitions, street play competitions, poster making competitions, painting competitions and even debate are other means of spreading awareness of child rights amongst school and college students.
- (e) PLVs may be asked to create an effective outreach campaign through the distribution of posters using child appropriate messaging.
- (f) In addition to informing individual children about their right to legal assistance, it is also important to engage in outreach to communities and public and private agencies as a way of building support for legal empowerment and an effective working relationship with Legal Service providers .
- (g) Many children in need of legal service live in remote rural areas. As a result, the children often find it impossible to physically access legal services where they live. To overcome this barrier, SLSAs may take some initiative including mobile clinic and one Stop Centre programmes offering a range of legal services to the children at the same location.

- (h) DLSAs can take the services of PLVs deputed at each police station, in compliance of the direction in Bachpan Bachao Aandolan vs Union Of India, for conducting initial interviews and investigations, to provide counselling and to work as a link between the children and his or her family.
- (i) Each SLSA shall take up the matter with the State Government so that child rights could be included in the school curriculum of all schools to enable children to know their rights.
- (j) SLSAs shall spread awareness about the newly added provisions of section 357 A CrPC and any Victim Compensation Scheme of the State so that immediate compensation is released to the children.
- (k) Each SLSA shall develop directory on legal services which must be available ready with all key stake holders.
- (l) Each SLSA shall organize intensive legal awareness campaigns at all levels about children's right to education as well as fundamental duties of parents to send their children to schools.
- (m) There is a need for creating awareness about the availability of non-institutional services such as adoption, sponsorship and foster care for children.
- (n) SLSAs shall endeavour the accreditation of NGOs having sound credentials and involved in matters of children who are in need of care and protection.
- (o) To initiate awareness programme that enable community mobilisation and outreach to change social norms perception and attitudes and to educate the villagers and communities about the harm caused to children on account of child marriages especially on their health and personality and also on their future productivity.
- (p) To have greater social community engagements through PLVs to prevent young girls from being coerced into early marriage

- (q) Each SLSA shall take up necessary step to solve the problem of Child Labour by working in villages with the help of PLVs to sensitize families about the long term benefits of education and to make them aware that child labour is not acceptable.
- (r) There should be awareness programme at all levels for the effective prohibition of all forms of labour for children upto 14 years of age and to effectively address the issues of trafficking of children.
- (s) Each SLSA should work together with the State Government for strengthening existing framework so that the promise of free and equality education to children between the age of 6 and 14 can be implemented across the State.
- (t) Vulnerability to trafficking for Child Labour or destitution increases during disasters and natural calamities. Therefore, the core group constituted by the SLSAs under the NALSA scheme i.e “A Scheme For Legal Services To Disaster Victims Through Legal Services Authorities”, must ensure that all measures are taken to protect the rights of these children and for their welfare.
- (u) SLSAs must draw an action plan so that the problem of Child Labour is systematically eliminated from the society.
- (v) To eliminate the menace of child labour and to effectuate the mandate of the Constitution, Supreme Court had given a large number of mandatory directions in **M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu** reported as **(1996) 6 SCC 756**. One of the important directions was to direct an employer to pay a compensation of Rs. 20,000/- for having employed a child below the age of 14 years in hazardous work in contravention of Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 . The appropriate Government was also directed to contribute a grant/deposit of Rs. 5,000/- for each such child employed in a hazardous job. The said sum of Rs. 25,000/-

was to be deposited in a fund to be known as Child Labour Rehabilitation-cum- Welfare Fund and the income from such corpus was to be used for rehabilitation of the rescued child.

All LSAs -orinate with police, labour department and other authorities concerned for compliance of the aforesaid directions and follow up the matter.

11. Database

All LSAs shall have database of all the existing central or state schemes, policies, regulations, SOPs, police directives, conventions, rules, declarations, comments, and reports etc. available for child welfare and protection so that same may be used as and when required for legal awareness and for providing legal services to the Juveniles.

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं
और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

1. परिचय तथा पृष्ठभूमि :

‘यह कभी भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि बच्चे किसी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वे विश्व जनसँख्या के लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये जाता, उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर वर्तमान पीढ़ी के हाथ से निकल जायेगा..।’ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलिल बाली बनाम भारतीय संघ (यू.ओ.आई.) तथा अन्य, 2013, VII ए.डी.(एस.सी.) मामले में व्यक्त उपरोक्त सम्प्रेषण दर्शाता है कि युवा पीढ़ी के प्रति हमारा यह दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा सहित सभी अवसर खोले जाएँ ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो तथा उनकी क्षमता का शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास हो।

2. अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं :

- 2.1 20 नवम्बर, 1959 को बालकों के अधिकारों की घोषणा को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, अथवा वंश का भेद भाव किये बिना बच्चों को स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से तथा स्वतन्त्र व गौरवपूर्ण परिस्थिति में उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास करने के योग्य बनाने के लिए दस सिद्धांतों को अधिकथित किया है।
- 2.2 बाल न्याय प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र आदर्श न्यूनतम नियम (पेइचिंगनियम, 1985) ने राष्ट्रों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि कार्यवाही के दौरान बालक को विधिक सलाहकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त होगा अथवा यदि उस देश में ऐसा प्रवधान हो तो उसे मुफ्त विधिक सहायता के लिए आवेदन करने का भी अधिकार होगा।
- 2.3 बालकों के अधिकार सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.सी.) बालकों के अधिकार हेतु एक विस्तृत, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बाध्यकारी समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में स्वीकार किया है। यू.एन.सी.आर.सी. का उद्देश्य बच्चों को प्रदान किये जाने वाले मूलभूत मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है। इन अधिकारों को चार मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। इन चार वर्गों में बालकों केस भी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार आते हैं जो निम्नलिखित हैं :-

► **जीने का अधिकार :-** इसमें बालक को जीवन का अधिकार तथा जीवित रहने के लिए

आवश्यक मूलभूत जरूरतें जैसे पोषण, आवास, उपयुक्त जीवनस्तर तथा चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठाना शामिल है।

► **विकास का अधिकार :-** इसमें बालक को शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सूचना प्राप्त करना तथा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, विवेक तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

► **संरक्षण का अधिकार :-** बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा व शोषण से संरक्षित करना। साथ ही शरणार्थी बच्चों की विशेष देख-रेख करना, अपराध न्याय व्यवस्था में बच्चों का संरक्षण, रोजगार में बच्चों का संरक्षण करना, उन बच्चों का संरक्षण व पुर्नवास करना, जिन्होंने किसी प्रकार के शोषण अथवा दुर्व्यवहार का सामना किया हो।

► **भागीदारी का अधिकार :-** इसमें बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके जीवन से संबंधित मामलों में अपनी बात रखने का अधिकार, शान्तिपूर्वक सभा करने व किसी संगठन में शामिल होने का अधिकार शामिल है। ज्योंही उनकी क्षमता का विकास होता है, बच्चों को समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेने के तथा जिम्मेदार युवा बनने के अधिक अवसर मिलते रहे।

3. संवैधानिक आश्वासन :-

3.1 हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथा बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है तथा उनका विशेष स्तर बनाये रखते हुए राज्य ने विशेष कानून भी बनाये हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और इसमें बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

3.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि उनकी इच्छानुसार विधि व्यवसायी (लीगल प्रैक्टिशनर) द्वारा उनका बचाव हो। बाल न्याय प्रदान करने के लिए अपनाये जाने वाले मौलिक सिद्धांतों में से एक यह भी है कि राज्य के खर्च पर विधिक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह आवश्यक कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाये।

बच्चों से सम्बंधित भारतीय संविधान के प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

- अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

- ▶ अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।
- ▶ अनुच्छेद 21 (A) के अनुसार राज्य, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में , जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
- ▶ अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा अन्य इसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- ▶ अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जायगा।
- ▶ अनुच्छेद 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।
- ▶ अनुच्छेद 39 (ई) के अनुसार राज्य, विशिष्टतया, अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक, से रोजगार की ओर उन्मुख न हों जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो।
- ▶ अनुच्छेद 39 (एफ) के अनुसार राज्य, विशिष्टतया, अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिले और बालकों और नवयुवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय।
- ▶ अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य, सभी बालकों के लिये छः वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- ▶ अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य, अपने लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।
- ▶ अनुच्छेद 51 ए (क) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह यदि माता-पिता या संरक्षक है , छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

4 अन्य विधान

संविधान के अलावा ऐसे कई कानून हैं जो बालकों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

► संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

यह अधिनियम न्यायालय द्वारा बालकों के संरक्षकों की योग्यताओं, नियुक्तियों और निष्कासन की चर्चा करता है और यह धर्म पर ध्यान दिये बिना सभी बालकों पर लागू है।

► बाल श्रम (प्रति निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम विशिष्ट कार्यों में बालकों के नियोजन के निषेध तथा अन्य विशिष्ट नियोजनों में बालकों की कार्य-दशा को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रवृत्त हुआ है। अधिनियम के अंतर्गत 'बालक' से अर्थ वह व्यक्ति है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। यह अधिनियम बाल रोजगार (अर्थात् जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है के नियोजन) पर प्रतिबंध लगाने हेतु आशयित है।

► प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट)

यह अधिनियम (अनुवांशिक अथवा चयापचयी अथवा गुण-सूत्र सम्बन्धी असमानता का पता लगाने के उद्देश्य हेतु) प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का प्रयोगों के विनियमनों और कन्या भ्रूण-हत्या के लिये जिम्मेदार प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण के उद्देश्य हेतु ऐसी तकनीकों का गलत प्रयोग करने की रोकथाम करता है।

► किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

यह अधिनियम उन किशोरों और बालकों से सम्बंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण कि आवश्यकता है। यह अधिनियम उनके विकास और आवश्यकताओं का प्रबंध करते हुए उन्हें उचित देख-रेख, संरक्षण एवं चिकित्सा को, बाल सम्बन्धी मामलों में उनके सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्रकृति में अधिनिर्णय करने में बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं स्थापित अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थागतों द्वारा आधारभूत पुनर्वास प्रदान करता है।

► शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 हेतु आयोग :-

यह अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन और उनसे सम्बंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों की बाल न्यायालयों में शीघ्र सुनवाई हेतु राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोगों की स्थापना करता है।

► बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

यह अधिनियम लड़के एवं लड़कियों दोनों पर न्यूनतम आयु निर्धारित किये जाने के द्वारा बाल विवाह करने पर अंकुश लगाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(ए) के अंतर्गत बालक का अर्थ है कि जो व्यक्ति, यदि वह पुरुष है जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो और यदि वह महिला है तो उसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण न किए हो।

► बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009

संविधान का अनुच्छेद 21-ए यह प्रावधान करता है कि राज्य छः से चौदह वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा, इस प्रकार, जैसा कि राज्य, विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू कर अनुच्छेद 21 ए द्वारा अपेक्षित अधिनियम बनाया है। यह अधिनियम छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है।

► यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012

यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु तथा उनसे सम्बंधित अथवा उनसे निकले हुए मामलों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।

5. विधिक सेवाओं का अधिकार

- 5.1 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बच्चे विधिक सेवाओं के लाभार्थी हैं। यह अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने के लिए, अधिनियमित किया गया ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित न रहे। साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क एवं उचित विधिक सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- 5.2 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (सी) के अंतर्गत एक बालक जिसे मुकदमा दायर अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है। इसलिये, यह विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों का कर्तव्य है कि वह विधि के साथ संघर्ष में बालक को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें और उनके मामलों का त्वरित निपटान करें।
- 5.3 इस पृष्ठभूमि में, योजना विधिक सेवा संस्थानों (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति) के लिए तैयार की गई है कि इसका पालन बच्चों को विधिक सेवा देते समय किया जाए।

6. परियोजना का नाम

यह योजना नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 कही जाएगी।

7. परिभाषाएँ

इस योजना में जबतक कि अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) 'अधिनियम' अर्थात् विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39)
- (ख) 'जे. जे. अधिनियम' अर्थात् किशोर न्याय (देख-भाल एवं बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का 56)
- (ग) 'जे. जे. नियम' अर्थात् किशोर न्याय नियम (देख-भाल एवं बच्चों का संरक्षण) नियम, 2007
- (घ) 'विधिक सेवा' का वही अर्थ है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत बताया गया है।
- (च) विधिक सहायता क्लिनिक अर्थात् जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम 2011 के अंतर्गत विनियम 2 (सी) में बताया गया है।
- (छ) विधिक सेवा संस्थान का अर्थ है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा न्यायालय समिति, जिला विधिक प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो।
- (ज) पैनल अधिवक्ता अर्थात् पैनल अधिवक्ता जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं उपयुक्त विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत चुने जाते हैं।
- (झ) अर्धविधिक स्वयंसेवी अर्थात् जैसा कि विधिक सेवा संस्थान के द्वारा अर्धविधिक स्वयंसेवी को प्रशिक्षित एवं नियुक्त किया गया है।
- (न) अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो प्रयोग किये गये हैं परंतु इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में परिभाषित अर्थ क्रमशः एक ही होगा जो उपरोक्त अधिनियम अथवा नियम में नियत है।

8. उद्देश्य

8.1 दिल्ली में, 16 वर्ष का बच्चा 'X' मोबाइल फोन चुराने का अभियुक्त है। मुम्बई में, 12 वर्ष का बच्चा "Y" यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित है। कलकत्ता में "Z" के माता-पिता उसकी

अभिरक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं। चेन्नई में 13 वर्षीय बच्चा “S” एक फैक्ट्री से छुड़ाया गया जो तस्करी का शिकार है। प्रत्येक दिन बच्चे इसी तरह न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं, जहाँ औपचारिक एवं अनौपचारिक न्याय प्रदाता निर्णय देते हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन बच्चों के क्या अधिकार हैं जब वे विधिक संपर्क में आते हैं? क्या वे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के हकदार हैं? यदि ऐसा है तो वह सेवाएँ कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी और आवश्यकता एवं आपदा की परिस्थिति में क्या बच्चों तक पहुँच सकेंगी? कैसे विधिक सेवाएँ (शिशु अनुकूल) बनाई जाएंगी जब तक तर्कगत एवं आर्थिक रूप से इतनी बाधाएँ हैं? कैसे शिशु अनुकूल न्याय की परिकल्पना अनौपचारिक न्याय व्यवस्था में भूमिका अदा करती है? इस योजना का प्रयोजन इन समस्याओं को सुलझाने हेतु एक परिकल्पित एवं कार्यशील पद्धति का सुझाव देना है जिसका अंतिम लक्ष्य ‘जमीनी स्तर’ पर बच्चों को सार्थक, प्रभावी, उपयोगी एवं आयु संगत विधिक सहायता प्रदान करना है।

8.2 परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- (i) बच्चों तक पहुँचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना।
- (ii) बच्चों की देख-भाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।
- (iii) विधिक सेवाएँ, संस्थागत देखभाल, परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना।
- (iv) किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों को महत्त्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनसे एक वैयक्तिक विशिष्टता के साथ व्यवहार किया जाए।
- (v) समस्त पदाधिकारियों जिनमें अर्धविधिक स्वयंसेवी, पैनल अधिवक्ता परामर्शकर्ता, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्याय विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग शामिल होंगे, की सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लें।
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य प्राधिकरणों एवं संस्थानों जैसे कि किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों, अन्य कल्याणकारी समितियों, अवलोकन तथा आश्रयग्रह, मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा नर्सिंगहोम, आयोगों, परिषदों, परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय आदि, विभिन्न बाल मित्र विधानों के अंतर्गत स्थापित हों।
- (vii) बाल कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनायें नीतियाँ, विनियम, एस.ओ. पी. स., पुलिस निदेशों, सम्मेलनों, नियमों, घोषणाओं, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि आंकड़ों का संचय करना।

- (viii) बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं, परियोजनाओं और सभी स्तरों पर ढांचों के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हित धारकों अर्थात् अर्धविधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति, कल्याण अधिकारियों, पुलिस, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देखरेख करने वाले, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्थानों आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- (ix) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एस.जे.पी.यू., जे.डब्ल्यू.ओ.एस., पैनल अधिवक्तागण, अर्ध विधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्यों, कल्याण अधिकारियों, सलाहकारों, परिवीक्षा अधिकारियों, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देख-रेख करने वालों के लिए कौशल विकास तथा उनमें उत्तरदायित्व का अहसास जगाने के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास और संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन तथा व्यवस्था करना।
- (x) विधिक तथा बाल अधिकारों एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में सम्मेलनों, औपचारिक वार्तालाप, कार्यशालाओं एवं सभाओं का आयोजन करना।
- (xi) सभी सरकारी निकायों या पदाधिकारियों, संस्थानों, प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सम्बन्धित संगठनों या जिन्हें बाल अधिकारों से सम्बन्धित जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं, के बीच में प्रभावी समन्वय और संपर्क विकसित करना।
- (xii) विभिन्न परियोजनाओं, कानूनों आदि पर अध्ययन कर अनुसंधान और प्रलेखन करना, उनमें कमियाँ खोजना तत्पश्चात् उपयुक्त प्राधिकरणों को सुझाव देना।

9. प्रमुख सिद्धांत जिन्हें विधिक सेवा संस्थानों को सभी स्तरों पर अपने ध्यान में रखना चाहिए :-

9.1 बालक के सर्वोत्तम हित:-

यह प्रत्येक ऐसे बालक, जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून के साथ संघर्ष में हैं का अधिकार है कि विधिक सेवाएं प्रदान करते समय, उसके अधिकारों को सर्वोत्तम महत्व दिया जाए।

9.2 बाल कल्याण :-

अन्य सभी बातों के बावजूद बाल कल्याण हमेशा प्राथमिक होगा। बाल कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित हस्तक्षेप तथा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

9.3 सम्मान का अधिकार :-

प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि उसके साथ सम्मान एवं दया तथा करुणा का व्यवहार किया जाए एवं वह इसके योग्य है कि उसका सम्मान तथा सुरक्षा की जाए।

9.4 समानता एवं पक्षपात न किये जाने का अधिकार :-

बालक की जाति, वंश, धर्म, विश्वास, आयु, परिवार स्तर, संस्कृति, भाषा, नस्ल, अशक्ताओं यदि कोई हो अथवा जन्म स्थान को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक बालक के साथ किसी भी पक्षपात का व्यवहार नहीं किया जाएगा।

9.5 सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक सूचित किये जाने, सुने जाने का अधिकार रखता है एवं अपने विचार एवं चिंताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का अधिकार रखता है।

9.6 सुरक्षा के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक समस्त स्तरों पर सुरक्षा का अधिकार रखता है एवं वह किसी हानि, शोषण, उपेक्षा आदि से ग्रस्त नहीं किया जा सकता।

9.7 गोपनीयता का सिद्धांत :-

किसी बालक की गोपनीयता विधिक सेवा संस्थानों के समस्त स्तरों पर सुरक्षित की जायेगी।

10. कार्ययोजना

10.1 परिषदों, समितियों, आयोगों आदि का गठन :-

- (क) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद् का गठन प्रत्येक जिला में करे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद् विधित न्यायालय से पृथक् रूप से स्थापित किया जाए और जहां ऐसा कोई परिषद् स्थापित न हो राज्य विधिक सेवा परिषद् इसे अति आवश्यक आधार पर राज्य सरकार तक ले जाएगा ताकि बाल परिषद् प्रत्येक जिले में स्थापित हो सके।
- (ख) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 29 राज्य सरकारों को यह अनुमति देती है कि वह बाल कल्याण समितियां सभी जिलों में उन बच्चों के लिए बनाए जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। ऐसी समितियों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। जिनमें एक महिला होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक

जिले में बाल कल्याण समितियां स्थापित की जाएँ तथा जहां ऐसी समितियां गठित नहीं हैं वहां राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण यह मामला राज्य सरकार के समक्ष अविलम्ब उठाएगा ताकि प्रत्येक जिले में समिति का गठन हो सके।

- (ग) किशोर न्याय अधिनियम में यह अनुज्ञात है कि विधि के विरोध में किशोरों से व्यवहार करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाये। प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी जिसे विशेष रूप से निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया गया है, को किशोर/बालक कल्याण अधिकारी से पद नामित किया जाए जो किशोरों से व्यवहार करेगा (धारा 63, जे. जे. अधिनियम एवं जे. जे. नियमों का नियम 11)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ स्थापित हों।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पद नामित किशोर कल्याण अधिकारियों तथा राज्य किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्यों के नामों तथा संपर्क विवरणों की सूची राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में मुख्य रूप से दर्शित हो।
- (च) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 62 ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक बाल सुरक्षा इकाई का गठन प्रत्येक राज्य के लिए करेगी तथा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अथवा देखभाल की आवश्यकता के लिए बालकों से सम्बंधित मामले प्रत्येक जिले में देखेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हो जाये।
- (छ) बाल अधिकार संरक्षण हेतु आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य आयोग का गठन करे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयोग धारा 17 के बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंदर गठित हो तथा प्रभावी रूप से कार्य करें। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (यूओआई) तथा अन्य, (2014) 25 सीसी 180)
- (ज) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग जैसा भी हो, हेतु बाल विवाह रोकने एवं इससे जुड़े मामलों को देखने हेतु एक प्राधिकारी अथवा प्राधिकारी गण जो बाल विवाह निषेध प्राधिकारी कहलायेंगे को नियुक्त करने हेतु अधिकृत की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यदि बाल विवाह निषेध प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो तो बाल विवाह निषेध प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए सभी जरूरी कार्यवाही होगी।

10.2 संप्रेक्षण एवं आश्रय गृह

- (क) विधि के साथ संघर्ष में बालक गृह में बंद किये जाते हैं जेल अथवा हवालात में नहीं। ऐसे बालकों हेतु गृहों की दो श्रेणियां होती हैं अर्थात् सम्प्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह। ऐसे बालकों के विरुद्ध परिषद द्वारा अन्वेषण विलंबित होने पर वह सम्प्रेक्षण गृह में रखे जाते हैं और इस प्रकार के गृह प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं (जे. जे. अधिनियम की धारा सह पठित जे. जे. नियम 16 (1) ।
- (ख) इसी प्रकार, प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह में किशोरों को रखने हेतु जांच की समाप्ति के पश्चात् दोषी पाए जाने पर बालक एवं बालिकाओं को रखने हेतु विशेष घर बनाए जाएंगे (जे. जे. अधिनियम की धारा 9 सह पठित जे. जे. नियम का नियम 16 (1))।
- (ग) जे.जे. अधिनियम धारा 34 के अंतर्गत, राज्य सरकारें सशक्त बनाई गई हैं कि चाहे वह स्वयं अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रत्येक जिला अथवा जिला समूह में किशोर गृह बनाए एवं उसकी देखरेख करें जिसमें विलंबित जांच के दौरान देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले किशोरों को रखा जाए और जांच के बाद उनकी देख-रेख, ख्याल, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जाए।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितनी संस्थाएं अर्थात् किशोर घर, आश्रय गृह एवं सम्प्रेक्ष गृह राज्य में अपराधी किशोरों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे हैं का अद्यतन अभिलेख रखेगा।
- (च) देख-रेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु राज्य सरकार अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे समस्त घर एवं संस्थाएं जे.जे. अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों सह पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 71 के द्वारा पंजीकृत की जायेंगी।
- (छ) यदि कोई देखरेख एवं सुरक्षा वाले बच्चों हेतु संस्थाएं यदि पंजीकृत नहीं हो तो वह बंद कर दी जायेंगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेंगी। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथ आश्रमों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य (2014) 2 SCC 180)। इस सन्दर्भ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार तक मामले को ले जायेगा ताकि अपंजीकृत संस्थाओं के विषय में आवश्यक कार्य किया जा सके।
- (ज) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संप्रेक्षण गृह, आश्रय गृह एवं किशोर देखरेख गृह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों ताकि विधि के साथ संघर्ष में बालकों तथा देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों को उनमें रखा जा सके।
- (झ) प्रत्येक राज्य विधिक प्राधिकरण 'संप्रेक्षण एवं किशोर गृह समिति' का गठन करेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा एक पैनल अधिवक्ता और परिवीक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। गठित समिति, जिले में स्थित प्रत्येक घर में माह में कम से कम एक बार अपना भ्रमण करने के बारे में समयावली बनायेगी।

- (न) मुख्य रूप से समिति का कार्य यह देखना होगा कि संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल गृह बाल मित्रतापूर्ण हैं और यह कारागार या हवालात की तरह नहीं हैं और इनमें बेहतर किस्म की देखरेख व सुविधाएँ मौजूद हैं। इनमें स्वच्छता और सफाई, कपड़े और बिस्तर, भोजन और आहार, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ समन्वय व स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख संधारण इत्यादि की समस्त सुविधायें मौजूद हैं। यदि समिति द्वारा कुछ भी कमी पाई जाती है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष उनकी ओर से मामला उठाएगा और आगे की कार्यवाही करेगा।

10.3 विधिक सेवा क्लिनिक

- (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लिनिक प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में स्थापित करेगा।
- (ख) विधिक सेवा क्लिनिक के खुलने के बारे में तथा सम्बंधित दूरभाष एवं क्लिनिकों के पतों के बारे में समस्त सरकारी निकायों, विभागों जिनमें, पुलिस गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, को सूचित किया जायेगा।
- (ग) ऐसे विधिक सेवा क्लिनिकों में पी.एल.वी. संलग्न किये जायेंगे।
- (घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य, जिला तथा तालुका सेवा स्तर पर अपने सभी कार्यालयों में दूरभाष नंबर एवं क्लिनिक की अन्य सूचना प्रदर्शित करेगा।
- (च) स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 में दिए गए उनके कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, रिकार्ड और रजिस्टर का रख-रखाव, पैनल अधिवक्तागण का दौरा, अर्धविधिक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति तथा ऐसे क्लिनिकों पर नियंत्रण द्वारा शासित किये जायेंगे।
- (छ) समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्राचार्य के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिले के प्रत्येक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना करेगा।

10.4 विधिक प्रस्तुतिकरण

विधिक प्रावधान

- (क) अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर या प्रतिरक्षा करना हो वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है।

- (ख) परिषद् यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक विधिक सेवा संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय विधिक सेवा क्लिनिक द्वारा प्राप्त हैं। (नियम 3. (डी) सहपठित जे जे नियम का 14 (2))
- (ग) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक अधिकारी समस्त किशोरों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करेंगे। (जे जे नियम का नियम 14 (3))
- (घ) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे के परिवार अथवा अभिभावक को अधिवक्ता प्रदान करेंगे यदि वे विधिक सलाहकार वहन करने में असमर्थ हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

- (क) कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्तागण का एक प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध पैनल गठित करेगा जो कि बच्चों/किशोरों को समस्त मंचों अर्थात् किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों में उनका प्रतिनिधित्व करें ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सार्थक तथा प्रभावी विधिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें।
- (ख) राज्य सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों अथवा किशोरों को दी गई विविध सेवाएँ उच्च कोटि की हों और प्रभावी हों जिसके लिए किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति में सक्षम और समर्पित अधिवक्तागण का पैनल हो ।
- (ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्तागण के कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण करेगा और आकस्मिक निरीक्षण का तंत्र तैयार करेगा।
- (घ) पैनल अधिवक्ता को उनका पारिश्रमिक, किये गये कार्य की रिपोर्ट जो किशोर न्याय परिषद् अथवा बाल कल्याण समिति जहाँ पर पैनल अधिवक्ता तैनात किया गया हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षर के आधार पर दिया जाएगा।
- (च) राज्य विधिक सेवा परिषद्, विधिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता तथा किशोर न्याय परिषदों तथा बाल कल्याण समितियों में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक बालक का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व हो और निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

10.5 प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम

- (क) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) सं. 473/2005 शीर्षक सम्पूर्णा बहुरूआ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 12.10.2011 एवं 19.08.2011 के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पुलिस थाने से जुड़े पदनामित किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों

तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों तथा किशोर न्यायिक संस्थानों की विधिक सेवा के प्रशिक्षण के बारे में पहले से जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

- (ख) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित पुलिस विभाग के प्रमुख से समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष किशोर पुलिस इकाईयों तथा किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों की भूमिकाओं, दायित्वों और कार्यों की रूप-रेखा पर निरंतर आदेश जारी किये जाएं। ऐसे निरंतर आदेश किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय नियम/उपयुक्त नियम (यदि राज्य सरकार ने अपने किशोर न्याय नियम अधिसूचित किये हैं) तथा शीला बरसे बनाम भारत संघ (1986 स्कैल (2) 230 : (1987) 35 SC 50 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित होंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे निरंतर आदेशों के आलेखन तथा रचना में सहायता प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरंतर आदेश स्थानीय भाषाओं में अनुवादित की जाएं तथा समस्त पुलिस थानों में उपलब्ध हो।
- (ग) बच्चों की सेवा करने के लिये कानूनी सेवा की क्षमता और अवधारणों को प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विधिक सेवा प्रदाताओं चाहे वह अधिवक्तागण, अर्धविधिक स्वयं सेवी, पुलिस अधिकारी अथवा न्यायिक अधिकारी हों, प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह बच्चों के साथ कैसे संवाद और व्यवहार करें।
- (घ) बाल विधिक सेवा प्रदाताओं, न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, पुलिस अधिकारीगण, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों चाहे वह औपचारिक रूप से विधि में प्रशिक्षित हो या ना हो उन्हें बच्चों के अधिकारों के लिये प्रसांगिक क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (च) जहाँ तक कि संभव हो, मूल विधिक अवधारणाओं तथा उपयुक्त कानूनों, विनियमन एवं नियमों में प्रशिक्षण तथा वकालत में कौशल प्रशिक्षण समस्या आधारित तथा संवादात्मक होनी चाहिए।
- (छ) किशोरों से संबंधित कानून में संवैधानिक प्रावधान, विधान, परियोजना, रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नियम समाविष्ट होने चाहिए। चुनौती यह है कि हम किस प्रकार से यह सूचना सार्थक रूप से उन व्यक्तियों को पहुँचाएँ जो कि जमीनी स्तर पर बच्चों के लिये काम कर रहे हैं इसलिय ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में सभी मुख्य सूचना हो जो कि बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक हो।

10.6 विधिक जागरूकता

- (क) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छोटी पुस्तकें/पर्चे/बच्चों के अधिकारों से संबंधित उपलब्ध योजनाओं की जानकारी युक्त कानूनी सेवा पुस्तिका छापेगा/ छोटी पुस्तिकाएं/पर्चे/

विधिक सेवा पुस्तिका की प्रतियाँ सभी स्वागत कक्षों, विधिक सेवा क्लिनिकों, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों पुलिस थानों आदि में उपलब्ध कराई जाएगी।

- (ख) उपरोक्त विवरण से संबंधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समुदाय रेडियो द्वारा फैलाई जाए।
- (ग) समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिक्षा संस्थानों, बाल संरक्षण अधिकार के लिये राज्य आयोग, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि के सहयोग से बाल अधिकारों तथा उनके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएंगे।
- (घ) स्कूल तथा कालेज के छात्रों में बाल अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के अन्य साधनों में निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएँ, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ, चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ हैं।
- (ङ.) अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों को बाल उपयुक्त संदेशों का प्रयोग करते हुए पोस्टरों के वितरण द्वारा एक प्रभावकारी सुगम्य अभियान बनाने के लिए कहा जाएगा।
- (च) प्रत्येक बालक को उसके विधिक सहायता के अधिकार के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, विधिक सशक्तिकरण के लिए सहयोग एवं सहायता पैदा करना तथा विधिक सेवा प्रदाताओं के साथ असरदायक कार्यकारी सम्बन्ध बनाने के लिए समुदायों, जनता और निजी अभिकरणों तक पहुँचाना और इन्हें जोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा।
- (छ) विधिक सेवा के जरूरतमंद कई बच्चे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों का, जहाँ वह रहते हैं, विधिक सेवाओं तक शारीरिक रूप से पहुँचना अक्सर असंभव लगता है। इस बाधा को दूर करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसी जगह पर बच्चों को कई विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु मोबाइल क्लिनिक और एकल केंद्र कार्यक्रम सहित कुछ कदम उठाएगा।
- (ज) बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शुरुआती साक्षात्कार एवं जांचों को संचालित करने हेतु, परामर्श देने और बच्चों एवं उनके परिवार के बीच मे कड़ी के रूप में काम करने हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नियुक्त अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सेवाएँ लेंगे।
- (झ) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मामलों पर चर्चा करेगी ताकि सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बाल अधिकारों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे बच्चे अपने अधिकारों को जान सकेंगे।

- (रू) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357। एवं राज्य की कोई भी पीड़ित मुआवजा योजना में जुड़ गए नए प्रावधानों की जानकारी की जागरूकता का प्रसार करेगी ताकि बच्चों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध हो सके।
- (ट) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवाओं पर निर्देशिका विकसित करेगी जो सभी मुख्य हिस्सेदारों पर तुरंत उपलब्ध होगी।
- (ठ) प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों के शिक्षा अधिकारों सहित अभिवावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सभी स्तरों पर गहन विधिक जागरूकता अभियानों को आयोजित करेगी।
- (ड) बच्चों हेतु गैर-संस्थागत सेवाएँ जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण एवं पालन-पोषण आदि की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
- (ढ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन स्वयंसेवी संस्थाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जिनके पास विश्वसनीय प्रत्यय-पत्र होंगे एवं वह उन मामलों में लिप्त होंगे जिनमें बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है।
- (ण) बाल श्रम की समस्या को खत्म एवं संविधान के जनादेश की प्रभावोत्पादकता हेतु, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य प्रतिवेदित (1996) 6 SCC 756 में अत्यधिक संख्या में आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं। उन निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश था जिसके अंतर्गत नियोजक को बालश्रम (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम के बालक को खतरनाक कार्य में लगाने पर रु. 20,000/- का मुआवजा देना है। समुचित सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे को जो खतरनाक काम में कार्यरत है, रु. 5,000/- अनुदान के रूप में देने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त कथित रकम रु.25,000/- को कोष में जमा करना होगा जो कि बालश्रम-पुनर्वास सह-कल्याण कोष के नाम से जाना जाता है और ऐसे कोष की राशि, मुक्त कराएगा ये बच्चों के पुनर्वास में प्रयोग होगी। सभी विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, श्रम विभाग एवं अन्य सम्बंधित प्राधिकरणों से उपरोक्त निर्देशों के पालन एवं मामले की आगे की कार्यवाहियों हेतु समन्वय करेंगे।

11. आंकड़ा संचय

समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए मौजूद केंद्रीय अथवा राज्य परियोजनाएं, नीतियां, विनियमन, एस.ओ.पी, पुलिस निर्देशिका, सम्मलेन, नियम, घोषणाएँ, टिप्पणियों एवं रिपोर्ट आदि का आंकड़ा संचय होगा ताकि इसको जब भी अपेक्षित हो, विधिक जागरूकता एवं किशोरों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जा सके।